न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी— बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 153/2018 (वाद)
दायर दिनांक 18.12.2018
निर्णय दिनांक 26.02.2026

अनवान

समस्त खटीक समाज रेलमगरा की ओर से प्रतिनिधित्व जरिये
1. मदनलाल पिता पन्नालाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. कैलाश पिता नारायण खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. हरलाल पिता तलोक खटीक निवासी नई आबादी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. बंशीलाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. नरेश पिता गणेश खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. जगदीश पिता बिहारीलाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला रेलगगरा तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. दिनेशचन्द्र पित्ता नानालाल रेगर निवासी निवासी रेगर मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. सम्पतलाल पिता शंकरलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. नरेन्द्र पिता शकरलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. महावीर पिता शंकरलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. मीठालाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. रोशनलाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
7. शांतिलाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता पी०सी० खटीक
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस.एस.पालीवाल

निर्णय

वादीगण ने वाद अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की जमाबन्दी खाता संख्या 1350 के आराजी संख्या 1800, 1801 कुल किता–02 कुल रकबा 14 विश्वा भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ संलग्न है। आराजी संख्या 1800, 1801 के पुराने नम्बर 1545/1 और 1544 मी. थे जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पेमाईश के समय इन दोनों रकबों को जोडकर आराजी संख्या 1800 व 1801 बना है। इसलिये आराजी संख्या 1800 का रकबा 04 बिश्वा तथा 1801 का 10 बिश्वा रकवा बना। बाद पत्र में वर्णित आराजियात पूर्व में गांगा, उदा वल्द हेमा बोला के नाम पर तथा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

शंकरलाल पिता इन्दमल, श्रीलाल पिता लोभचन्द, महाजन के नाम पर दर्ज थी, जिसका इन्द्राज विक्रम संवत 2049, 2062 की जमाबन्दी में दर्ज है तथा उक्त आराजियात पूर्व में मेहकमा बन्दोबस्त मेवाड़ राज्य की जमाबन्दी में इनके पूर्वज हजारीमल वल्द उम्मेदमल महाजन व हेमा वल्द मोटा बोला के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन थी। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात को दिनांक 30.01.1990 संवत् 2006 को गांगा, उदा वल्द हेमा बोला द्वारा विक्रय पत्र के जरिये अपना हिस्सा समस्त खटीक समाज रेलमगरा वालों को बिल एवज 41/– रूपये में विक्रय किया। जिसका बेचाव नामा दिनांक 31.01.1950 का निष्पादित किया गया था, जो बेचान पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है। बेचान पत्र समस्त खटीक समाज के पूर्वज जिसमें घासीराम वल्द भेरा, तलोक वल्द नगजीराम, हंसराज वल्द कसोरा, कालु वल्द खुमा, पोखर वल्द टेका, समस्त खटीक समाज को विक्रय किया और समस्त खटीक समाज की ओर से प्रतिनिधित्व वादीगण कर रहे है, इसलिये वाद प्रस्तुत किया है। आराजी संख्या 1800 व 1801 में से विक्रेता गांगा, उदा वल्द हेगा बोला ने अपना आधा हिस्सा विकय किया है। जिससे 14 विश्वा में से 07 विश्वा जमीन का विक्रय किया गया है। जब विक्रय किया उस समय खटीक समाज द्वारा उक्त आराजियात पर कुई बनाई गई। आराजी संख्या 1800 पर समस्त खटीक समाज का कब्जा था और आधा हिस्सा गांगा उदा वल्द हेमा से कय किया और कुई बनाई जिसका इन्द्राज सेटलमेन्ट विभाग के मिलान खसरा संवत् 2020–21 में कर रखा है जिसने समस्त खटीक समाज द्वारा अपने अंग मेहनत से 1000/– रूपये लगाकर कुई बनाई जिससे आराजी चाहा संख्या 1800 पर रामस्त खटीक समाज का हक अधिकार है तथा आराजी राख्या 1001 में आधा हिस्सा कय करने से हक अधिकार प्राप्त है। अर्थात आराजी चाह संख्या 1800 रकबा 4 विश्वा एवं आराजी संख्या 1801 रकबा 10 विश्वा इन दोनो रकबों में से गांगा, उदा बल्द हेमा बोला द्वारा आधा हिस्सा कय किया है। अर्थात आराजी चाह संख्या 1000 में से 2 बिश्वा व 1001 में से 5 विश्वा जमीन कय की। इसलिये आराजी चाह संख्या 1800 पर खटीक समाज का कब्जा है व कुई बनाई है। अतः समस्त खटीक समाज उक्त आराजियात में से 9 विश्वा जमीन अपने नाम पर स्वतः एवं खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिये यह बाद आप न्याफलय में प्रस्तुत किया है। वाद पत्र की कलम संख्या में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 1/2 हिस्सा कम कर रखा है। जो विधि विरुद्ध कम किया है। गांगा, उदा वल्द हेमा की मृत्यु के पश्चात् इनके वारीस दयाराम, रूपा पित्ता उदयराम, खेमी बेवा उदयराम के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन हुई, जिसका अंकन विक्रम संवत् 2049–52 की जमाबन्दी में कर रखा है। दयाराम, रूपा पिता उदयराम, खेमी बेवा उदयराम की उक्त आराजियांत विक्रय करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि उनके पूर्वा अधिकारियों ने समस्त खटीक रामाज रेलमगरा को विक्रय कर दिया था। लेकिन उक्त आराजियात दयाराम रूपा पिता उदयराम, खेमी बेवा उदयराम के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन होने से बिना वादीगण की जानकारी अवैध विधि विरूद्ध विकय पत्र निष्पादित करते हुये प्रतिवादी संख्या 01 को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया गया है जो गलत है। विक्रय पत्र निष्पादित हुआ वो वादीगण के मुकाबले शुन्य व बेअसर है। गांगा, उदा वल्द हेमा बोला द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात को समस्त खटीक समाज रेलमगरा को विक्रय कर दी गई, लेकिन राजस्व रेकार्ड में समस्त खटीक समाज रेलमगरा के नाम पर दर्ज नहीं हुई। राजस्व विभाग की गलती से पुनः गांगा, उदा वल्द हेमा के नाम पर ही रह गई, जिसका इन्द्राज भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट विभाग के फर्द इख्तालाफ नम्बर 365 में कर रखा है। किसी तरह का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दस्तावेज पेश नहीं करने पर साबिक इन्द्राज रखा जाये। और आराजी संख्या 1800 पर समस्त खटीक के स्वामित्व आधिपत्य में थी ओर है। जिसका इन्द्राज भी इसी मे कर रखा है। इसलिये जो बेचान नामा गांगा, उदा वल्द हेमा बोला द्वारा खटीक समाज के पक्ष में दिनांक 30.01.1950 को किया गया वो सही एवं सत्य है। विक्रय के पश्चात् अर्थात् दिनांक 30.01.1950 से लेकर बाद पत्र में वर्णित आराजियात पर समस्त खटीक समाज रेलमगरा का कब्जा है व समस्त खटीक समाज उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग निरन्तर, निर्विघ्न कब्जे काश्त के रूप में करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा पश्चिम दिशा की तरफ लोहे की फाटक लगी हुई है। मात्र नामान्तरकरण खटीक समाज के नाम पर नहीं खुलने से प्रतिवादीगण के नाम पर ही उक्त आराजियात रह गई। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर कोई हक अधिकार नही है, इसलिये समस्त खटीक समाज रेलमगरा अपने प्रतिनिधित्व की हैसियत से उक्त आराजियात में अपने स्वत्व एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। इस हेतु यह वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को यह धमकियां दे रहे है कि वादग्रस्त आराजीयात हमारा है, हम इसको लेकर रहेगें। तुम्हारा यहां कोई लेना देना नहीं है। आज से 4 माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर दखल अन्दाजी की गई तथा कब्जा करने की कोशिश की गई तो समस्त खटीक समाज ने कहा कि उक्त आराजियात हमारी है तो प्रतिवादीगण द्वारा कहा गया कि उक्त आराजियात मेरे नाम पर है, खाते की नकल देख लो। लेकिन खटीक समाज के व्यक्ति शुरू से ही यह समझ रहे थे कि यह जमीन हमारे पूर्वजों ने खरीदी है, जिससे हमारे नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन है लेकिन राजस्व रेकार्ड के दस्तावेज इकट्ठे किये गये मात्र खातेदार प्रतिवादीगण है, बल्कि खटीक समाज द्वारा दस्तावेज इकट्ठे किये गये और बेचाव पत्र बहुत ढूंढने पर मिला। निकट भविष्य में स्वामित्व संबंधित कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द एवं विक्रय करने पर उतारू है तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि निकट भविष्य में कोई मुकदमेबाजी नहीं बढ़े। अंगर वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में सम्भव नहीं होगी एवं अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। अतः स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। उक्त वाद समस्त खटीक समाज रेलमगरा की और से प्रस्तुत किया जा रहा है। खटीक समाज के व्यक्ति बहुत सारे है इसलिये समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से उक्त वादीगण की ओर से यह प्रतिनिधित्व वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को समस्त खटीक समाज के व्यक्तियों ने वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। बाद प्रस्तुत करने एवं वाद में प्रतिनिधित्व करने का हक अधिकार दिया है इसलिये समस्त खटीक समाज रेलमगरा के समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे आप न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली है। इस हेतु आदेश 1 नियम 8 सी0पी0सी0. के तहत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है। खातेदार शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिससे इनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को पक्षकार बनाया गया तथा खातेदार श्रीलाल पिता लोभचन्द महाजन की मृत्यु हो चुकी है जिससे इनके वारिस प्रतिवादी संख्या 05 से 07 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 08

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

को इसलिये पक्षकार बनाया गया है कि भूमिधारक होने से एवं राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व का करने से पक्षकार बनाया गया है बल्कि इस बाद में इनके विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वादीगण का वाद हेतु आज से 4 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात मे हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी की गई जिससे वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज इकट्ठा कर वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर आराजी चाहा संख्या 1800 रकबा 4 बिश्वा सम्पूर्ण हिस्सा एवं 1801 रकबा 10 बिश्वा में से 1/2 हिस्सा समस्त खटीक समाज रेलमगरा के पक्ष में स्वतः एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री जारी कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। आराजी चाहा संख्या 1800 एवं 1801 वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से प्रतिवादीगण किसी भी रूप में वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करे न ही कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करें। इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित फरमाया जावें। तथा दयाराम, रूपा पिता उदयराम, खेमी बेवा उदयराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ उसे वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से लगातार 07 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारी होने से कोई दाद नहीं चाही गयी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे एंव जवाब दावे अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी।

तनकी संख्या 01— आया वाद कि पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि को समस्त खटीक समाज के पुर्वजों द्वारा दिनांक 30.01.1950 को 41/—रू में क्रय करने से उक्त आराजीयात में वादीगण अपने हक एंव खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02— आया आराजी संख्या 1800,1801 पर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व उपयोग—उपभोग में निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 03— आया दयाराम, रूपा पिता उदयराम, खेमी बेवा उदयराम प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ उसे वादी के मुकाबले शुन्य एंव प्रभावहीन है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 04— आया दिनांक 31.01.1950 के निष्पादित विक्रय पत्र मिथ्या,अवैध दस्तावेज होने से वादीगण कोई खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है दावा मिथ्या दस्तावेज पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 मदनलाल खटीक, पीडब्ल्यू–02 हरलाल खटीक, पीडब्ल्यू–03 अली मोहम्मद के शपथ पत्र पर जिरह पुर्ण की गयी। एवं दस्तावेज वर्तमान नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1350 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, बेचाननामा की फोटो प्रति प्रदर्श–3ए, जमाबंदी खाता संख्या 831 (संवत् 2049–52) की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नामान्तरकरण संख्या 2714 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05, भू प्रबन्धन सेटलमेन्ट विभाग का फर्द इख्तलाफ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–06, भू प्रबन्धन सेटलमेन्ट विभाग का फर्द इख्तलाफ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–07, सेटलमेन्ट विभाग का मिलान खसरा संवत् 2020–21 का पृष्ट संख्या 449 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–08, सेटलमेन्ट विभाग का मिलान खसरा संवत् 2020–21 का पृष्ट संख्या 450 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–09, मेवाड़ राज्य की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10 के प्रस्तुत की गयी। वादीगण द्वारा दिनांक 30.01.1950 को निष्पादित विक्रय पत्र में केता, विक्रेतागण, साक्षीगण एवं दस्तावेज लेखक की मृत्यु बावत् प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न पत्रावली है। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने बहस के दौरान नजीरे आर. एल. डब्ल्यू. 2004 के पेज संख्या 109 से 116, आर. आर. टी. 2005(2) के पेज संख्या 894 से 890, आर. एल. डब्ल्यू. 2005 (2) के पेज संख्या 309 से 396, आर. एल. डब्ल्यू. 2007 (2) के पेज संख्या 1077 से 1083, आर. एल. डब्ल्यू. 2014 (2) के पेज संख्या 1471 से 1477 प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वादपत्र के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये । गवाह डि.डब्ल्यू–01 दिनेशकुमार, के शपथ पत्र पर जिरह पुर्ण की गयी।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के बहस पर मनन किया। वादीगण ने अपनी तनकियात संख्या 01 सें 03 के समर्थन में वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 1545/1 तथा 1544 मी. कुल रकबा 14 विश्वा के 1/2 हिस्से के खातेदार गांगा उदा वल्द हेमा बोला निवासी रेलमगरा द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 30.01.1950 को 41/– रूपये के प्रतिफल में केंतागण घासीराम वल्द भेरा आदि के जरिये समस्त खटीक समाज को विक्रय कर विकित 1/2 हिस्से का भोतिकः कब्जा भी केतागण को सुपुर्द कर दिया था। उक्त साबिक आराजी नम्बर के भू–प्रबन्ध पश्चात् हाल आराजी नम्बर 1800 व 1801 बने है। वादीगण के अनुसार उक्त विकित भूमि राजस्व रेकार्ड में खटीक समाज रेलमगरा के नाम दर्ज नहीं हो पाई तथा राजस्व रेकार्ड में पूर्व खातेदार के नाम पर ही यथावत दर्ज रही। पूर्व सहखातेदारान गांगा, उदा पित्ता हेमा की मृत्यु के पश्चात् सक्त वादग्रस्त भूमि जरिये विरासतन दयाराम, रूपा पिता उदयराम तथा खेमी बेवा उदयराम के नाम दर्ज हुई, जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि में स्थित अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया जबकि उक्त विकित भूमि उनके पूर्वजों द्वारा वर्ष 1950 में ही वादीगण को विक्रय की जा चुकी थी तथा भोतिक कब्जा भी वादीगण को सम्भलाया जा चूका था। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह मदनलाल (PW–1), हरलाल (PW–2) अली मोहम्मद (PW–3) के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। वादीगण ने अपने बाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में दिनांक 30.01.1950 के अपंजीकृत विकय विलेख की प्रति (प्रदर्श–3) प्रस्तुत की है। उक्त बेचान पत्र विक्रेता गांगा, उदा पिता हेमा बोला द्वारा वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1545/1 व 1544 मी.कुल रकबा 00–14 बीघा भूमि का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1/2 हिस्सा खटीक समाज को 41/– रूपये के प्रतिफल में विक्रय किए जाने का तथा विकित भूमि का भौतिक कब्जा केतागण को सुपुर्द करने का अंकन है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र दिनांक 26.09.1964 (प्रदर्श–6 व 7) में वादग्रस्त भूमि के वर्तमान इन्द्राज में समस्त खटीकान देह अंकित है लेकिन वादीगण द्वारा तत्समय किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक इन्द्राज को ही राजस्व रेकार्ड में यथावत रखा गया। भू–प्रबन्ध विभाग के संवत् 2020–21 के खसरा पत्र (प्रदर्श–8) में हाल आराजी नम्बर 1800 रकबा 00–04 बीघा किस्म आ.कुई के विशेष विवरण के कॉलम में भू प्रबंध विभाग द्वारा यह नोट अंकित है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 1800 पर कुई का निर्माण 1000/– रूपये की लागत लगाकर खटीक समाज द्वारा कर रखा है. इसी प्रकार भू प्रबन्ध विभाग के संवत् 2020–21 के खसरा पत्र (प्रदर्श–9) ने वादग्रस्त वर्तमान आराजी नम्बर 1801 के कॉलम संख्या 25 में आराजी नम्बर 1801 पर उपकृषक के रूप में 'समस्त खटीकेन देह' अकित है। उक्त दोनों प्रदर्श 8 व 9 से स्पष्ट है कि दिनांक 30.01.1950 को निष्पादित विकय पत्र में विक्रय की गई भूमि पर कब्जा खटीक समाज का ही था। लेकिन दौराने सेटलमेंट केतागण (वादीगण) द्वारा तत्समय विकावनामा की प्रति भू प्रबन्ध विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से वादग्रस्त विकित भूमि राजस्व रेकार्ड में केंता खटीक समाज के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। कालान्तर में विक्रेतांगण तथा पूर्व खातेदार गांगा व उदा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि जरिये विरासत दयाराम, रूपा पिता उदयराम, खेमी वेवा उदयराम के नाम दर्ज हुई तथा इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि 1800 व 1801 कुल रकवा 14 विश्वा में स्थित अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय कर दिया। लेकिन चूंकि दयाराम, रूपा तथा खेमी द्वारा विक्रय किया गया हिस्सा पूर्व में ही उनके पूर्वजों द्वारा खटीक समाज को दिनांक 30.01.1950 को विक्रय कर भौतिक कब्जा भी सुपूर्द किया जा चुका था, ऐसीस्थिति में विकेतागण दयाराम, रूपा व खेमी को प्रतिवादी संख्या 01 की वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं था, तथा ऐसे में विधि विरूद्ध तरीके से किए गए विक्रय पत्र से केता प्रतिवादी संख्या 01 को भी कोई हक अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। जिस सम्पत्ति में विक्रेतागण का कोई अधिकार, हक निहित ही नहीं है, ऐसी सम्पत्ति के बेचान से केता को कोई हक या अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। प्रस्तुत मामले में भी विधि विरूद्ध तरीके से किए गए वेचान से केता प्रतिवादी संख्या 01 को कोई हक या अधिकार हासिल नहीं होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से वादीगण का दावा इस हद तक सिद्ध होता है कि मौजा रेलमगरा की वादग्रस्त भूमि वर्तमान आराजी नम्बर 1800 व 1801 के तत्कालिन सहखातेदार गांगा, उदा पिता हेमा वोला निवासी रेलमगरा द्वारा दिनांक 30.01.1950 को कीमतन 41/– रूपये के प्रतिफल में समस्त खटीक समाज रेलमगरा को विक्रय कर भौतिक कब्जा केतागण को सम्भलाया गया था। लेकिन उक्त विकय का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से केता खटीक समाज का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वाद पत्र का कोई जवाब वावजूद सम्मन तामीली के प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि सम्भवतः प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति को परिलक्षित करता है, लेकिन वादीगण वेचान पत्र दिनांक 30.01.1950 के परे जाकर वादग्रस्त वर्तमान आराजी नम्बर 1800 कुल रकवा 04 विश्वा किस्म आ.चा. की सम्पूर्ण खातेदारी वर्तमान समस्त सहखातेदारों के वजाय वादीगण के नाम घोषित कराने के अपने दावें को सिद्ध नहीं कर पाए है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1950 के द्वारा तत्कालिन सहखातेदारों श्री गांगा व उदा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

द्वारा साबिक आराजी नम्बर 1545/1 व 1544 मी. कुल रकबा 00–14 बीघा में स्थित अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा खटीक समाज को विक्रय किया था, ऐसे में उक्त बेचान पत्र के द्वारा वर्तमान आराजी नम्बर 1800 कुल रकबा 00–04 बीघा भूमि की मॉग करना बेमानी है। वादीगण द्वारा अपना यह वाद दिनांक 30.01.1950 के विक्रय पत्र को आधार बना कर प्रस्तुत किया गया है, न कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर। ऐसे में विकय पत्र में विकित भूमि से अधिक भूमि की वादीगण के पक्ष में घोषणा किया जाना न्याय संगत नही होगा।

प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी तनकी संख्या 04 के समर्थन में गवाह डि.डब्ल्यू–01 दिनेशकुमार, के बयान कलमबद्व किये गये। इसके अलावा और कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किये गये।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि मोजा रेलमगरा की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 1350 में दर्ज वादग्रस्त आराजी संख्या 1800 रकबा 00–04 बीघा तथा आराजी नम्बर 1801 रकबा 00–10 बीघा कुल कित्ता 02 कुल रकबा 00–14 बीघा में दर्ज सहखातेदार दिनेशचन्द्र पिता नानालाल रेगर (प्रतिवादी संख्या 01) का 1/2 हिस्सा विलोपित किया जावें, तथा इसके स्थान पर समस्त खटीक समाज रेलमगरा का नाम 1/2 हिस्से में प्रतिस्थापित किया जावें। उक्त खाता संख्या 1350 में शेष सहखातेदार शंकरलाल पिता इन्द्रमल, श्रीलाल पिता लोमचन्द महाजन का 1/2 हिस्सा यथावत दर्ज रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के वादग्रस्त आराजी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करे तथा न ही उनके कब्जे काश्त में कोई दखल अंदाजी करें। वाद पत्र की शेष दाद अस्वीकार की जाती है। वाद पत्र के बिन्दु संख्या 15 (ग) में वर्णित दाद हेतु वादीगण सिविल न्यायालय में दावा पेश किये जाने हेतु स्वंतत्र है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी— बिन्दुबाला राजावत

राजस्व वाद संख्या— 153/2018 वाद

अनवान

वादीपक्ष

समस्त खटीक समाज रेलमगरा की ओर से प्रतिनिधित्व जरिये

1 मदनलाल पिता पन्नालाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरी तहसील रेलगगरा
2. कैलाश पिता नारायण खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलनगरा
3 हरलाल पिता तलोक खटीक निवासी नई आवादी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. बंशीलाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5 नरेश पिता गणेश खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. जगदीश पिता बिहारीलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरी तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष

1. दिनेशचन्द्र पिता नानालाल रेगर निवासी रेगर रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. सम्पतलाल पिता शंकरलाल महाजन निवासी रेलगगरा तहसील रेलमगरा
3. नरेन्द्र पिता शंकरलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. महावीर पिता शंकरलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. गीठालाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. रोशनलाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
7. शांतिलाल पिता श्रीलाल महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा— अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता पी०सी० खटीक

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस.एस.पालीवाल

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मैं इस आशय से दिनांक 26.02.2026 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि मौजा रेलमगरा की जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 1350 में दर्ज वादग्रस्त आराजी संख्या 1800 रकबा 00-04 बीघा तथा आराजी नम्बर 1801 रकबा 00-10 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 00-14 बीघा में दर्ज सहखातेदार निर्मलचन्द पिता नानालाल रेगर (प्रतिवादी संख्या 01) का 1/2 हिस्सा विलोपित किया जावे, तथा इसके स्थान पर समस्त खटीक समाज रेलमगरा का नाम 1/2 हिस्से में प्रतिस्थापित किया जावें। उक्त खाता संख्या 1350 में शेष सहखातेदार शंकरलाल पिता इन्द्रमल, श्रीलाल पिता लोभचन्द महाजन का 1/2 हिस्सा यथावत दर्ज रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के वादग्रस्त आराजी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करे तथा न ही उनके कब्जे काश्त में कोई दखल अंदाजी करें। वाद पत्र की शेष दाद अस्वीकार की जाती है। वाद पत्र के बिन्दु संख्या 15 (ग) में वर्णित दाद हेतु वादीगण सिविल न्यायालय में दावा पेश किये जाने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा